



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025 / 05 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 26th September, 2025

No. HHC/Estt.3(868)/2014.— 03 days commuted leave w.e.f. 10-09-2025 to 12-09-2025 with permission to suffix second Saturday and Sunday on 13th & 14th September, 2025 is hereby
160—राजपत्र / 2025—27—10—2025 (7041)

sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Anant Parihar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Anant Parihar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Anant Parihar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 26th September, 2025

No. HHC/GAZ/14-398/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 06-10-2025 to 10-10-2025 with permission to prefix 02-10-2025 to 05-10-2025 being Dussehra holidays & Sunday and suffix 11-10-2025 & 12-10-2025 being Second Saturday & Sunday respectively, in favour of Sh. Vikas Kapoor, Civil Judge-*cum*-JMFC, Nahan, H.P.

Certified that Sh. Vikas Kapoor is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vikas Kapoor would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Nahan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 26th September, 2025

No. HHC/Estt.3(716)/2009.—13 days earned leave *w.e.f.* 03-09-2025 to 15-09-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Asha Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Asha Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Asha Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 26th September, 2025

No.HHC/Admn.3(362)/92.—03 days commuted leave *w.e.f.* 18-09-2025 to 20-09-2025 with permission to suffix Sunday on 21-09-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Rachna Sood, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Rachna Sood has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Rachna Sood would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 26th September, 2025

No.HHC/Estt.3(468)/96-I.—12 days earned leave on and *w.e.f.* 06-10-2025 to 17-10-2025 with permission to prefix/suffix Sundays & Dussehra holidays falling from 28-09-2025 to 05-10-2025 and suffix High Court holidays & Deepawali holidays falling from 18th to 24th October, 2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Moor Chand, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Moor Chand is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Moor Chand would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 27th September, 2025

No.HHC/Admn.3(399)/95-I.—05 days earned leave on and *w.e.f.* 06-10-2025 to 10-10-2025 with permission to prefix/suffix Sundays & Dussehra holidays falling from 28-09-2025 to 05-10-2025 and suffix second Saturday and Sunday falling on 11th and 12th October, 2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Beer Singh Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Beer Singh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Beer Singh Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 06th October, 2025

No. HHC/15-67/Jus./Acctts./2025.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13020/01/2024-US-II dated 26th September, 2025, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), New Delhi, Hon'ble Mr. Justice Jiya Lal Bhardwaj, has assumed the charge of the office of Judge of the Himachal Pradesh High Court on 6th October, 2025 at 9.30 A.M.

By order,

Sd/-
(BHUPESH SHARMA)
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Dated, the 06th October, 2025*

No. HHC/15-68/Jus./Acctts./2025.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13020/01/2024-US-II dated 26th September, 2025, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), New Delhi, Hon'ble Mr. Justice Romesh Verma, has assumed the charge of the office of Judge of the Himachal Pradesh High Court on 6th October, 2025 at 9.30 A.M.

By order,

Sd/-

(BHUPESH SHARMA)

*Registrar General.***HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001****OFFICE ORDER***Dated, the 27th October, 2025*

No.HHC/Estt.6(73)/2008-IV.—In exercise of the powers vested in him under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf, Hon'ble the Chief Justice is pleased to appoint Ms. Aashima Premy, Village Badhal, Post Office Dochi (Shela Pani), Tehsil Jubbal, District Shimla, H.P., as Law Clerk-cum-Research Assistant of the choice of Hon'ble Mr. Justice Sushil Kukreja, Judge, for a period of one year, with immediate effect, on the fixed remuneration of Rs. 25,000/- per month, subject to the terms and conditions as notified *vide* Notification dated 19/25-5-2016.

By order,

Sd/-

Registrar General.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती सर्वो देवी पुत्री रण सिंह, निवासी टीका टिक्कर बुहला, डाकघर टिक्कर खतरियाँ, तहसील
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ... प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी ।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/2-21148, दिनांक 15-09-2025 के अनुसार श्रीमती सर्वो देवी पुत्री रण सिंह, निवासी टीका टिक्कर बुहला, डाकघर टिक्कर खतरियाँ, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1923 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत टिक्कर बुहला के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-07-1923 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टिक्कर बुहला में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सर्वो देवी पुत्री रण सिंह, निवासी टीका टिक्कर बुहला, डाकघर टिक्कर खतरियाँ, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1923 को ग्राम पंचायत टिक्कर बुहला के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 08-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकार एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्री सुरेश कुमार पुत्र बक्शी राम, निवासी टीका दसमल, डाकघर दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D) Delayed 2024/2-22252, दिनांक 25-09-2025 के अनुसार श्री सुरेश कुमार पुत्र बक्शी राम, निवासी टीका दसमल, डाकघर दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-05-1966 को हुआ है, परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-05-1966 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दिम्मी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र बक्शी राम, निवासी टीका दसमल, डाकघर दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-05-1966 को ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो

तो वह दिनांक 06-11-2025 तक असातन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकार एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री श्री कँवर सुख राम, निवासी टीका ककड़ीयार, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/1-18336, दिनांक 12-08-2025 के अनुसार श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री श्री कँवर सुख राम, निवासी टीका ककड़ीयार, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 02-03-1954 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत नाडसी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 02-03-1954 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत नाडसी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री श्री कँवर सुख राम, निवासी टीका ककड़ीयार, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 02-03-1954 को ग्राम पंचायत नाडसी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2025 तक असातन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकार एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी टीका साहनी, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्राथिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/2-17376, दिनांक 31-07-2025 के अनुसार श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी टीका साहनी, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 30-03-1972 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत नाडसी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 30-03-1972 को दर्ज न हो सका। प्राथिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत नाडसी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री लाल सिंह, निवासी टीका साहनी, डाकघर ककड़ीयार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 30-03-1972 को ग्राम पंचायत नाडसी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 08-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकार एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
118/2025/TEH

तारीख दायरा
08-10-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

प्रार्थी राजिन्दर कुमार पुत्र आत्मा राम, निवासी महाल पंतेहड़, डाकघर गांहलिया तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल पंतेहड़, पटवार वृत्त गांहलियां में राजिन्दर प्रसाद पुत्र आत्मा राम दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राजिन्द्र कुमार पुत्र आत्मा राम दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम राजिन्दर प्रसाद के बजाए राजिन्दर कुमार पुत्र आत्मा राम सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-10-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
67/2025/TEH

तारीख दायरा
17-09-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

प्रार्थी जयलाल पुत्र कशमीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर मेहरना, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल मेहरना, पटवार वृत्त भड़यारा में जयपाल पुत्र कशमीर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जयलाल पुत्र कशमीर सिंह दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम जयपाल के बजाए जयलाल पुत्र कशमीर सिंह सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-10-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०
117/2025/TEH

तारीख दायरा
08-10-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

प्रार्थी अजय कुमार पुत्र पंचम चन्द पुत्र महाल चन्द, निवासी गांव व डाकघर मेहरना, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल मेहरना, पटवार वृत्त भड़यारा में अजय सिंह पुत्र पंचम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम अजय कुमार पुत्र पंचम चन्द दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम अजय सिंह के बजाए अजय कुमार पुत्र पंचम चन्द सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-10-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०
53/2025

तारीख दायरा
24-09-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती रेखा देवी सुपुत्री जगदीश चन्द, निवासी गांव व डाकघर नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती रेखा देवी सुपुत्री जगदीश चन्द, निवासी गांव व डाकघर नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया

गया है कि उसका जन्म दिनांक 10-04-1971 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-11-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
44 / 2025

तारीख दायरा
24-09-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

पंजीकरण प्रार्थी सुखदेव सिंह पुत्र डूमणू राम, निवासी गांव व डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थी सुखदेव सिंह पुत्र डूमणू राम, निवासी गांव व डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 10-04-1971 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-11-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डधिकारी, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
54 / 2025

तारीख दायरा
15-10-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

पंजीकरण प्रार्थिया पिकी देवी सुपुत्री जसवन्त सिंह, निवासी गांव रिहालकड़, डाकघर धमेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया पिकी देवी सुपुत्री जसवन्त सिंह, निवासी गांव रिहालकड़, डाकघर धमेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 25-12-1975 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-11-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

श्री कृष कुमार पुत्र करनैल सिंह, गांव गनोड, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री कृष कुमार पुत्र करनैल सिंह, गांव गनोड, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड, वोटर कार्ड में कृष कुमार दर्ज

है, जोकि सही है। लेकिन उसका नाम महाल गनोड के राजस्व रिकार्ड में कृष धीमान दर्ज है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार कृष धीमान की जगह कृष कुमार पुत्र करनैल सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है। कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 07-11-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, उप-मण्डल पूह, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 12/2025

शीर्षक :

बावू सेन

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेरे धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि का इन्द्राज करवाने बारे।

प्रार्थी श्री बावू सेन पुत्र श्री दावा छेरिंग, निवासी गांव व डाकघर ज़ाबुंग, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र दायर किया है कि उसके बच्चों श्री रोहित का जन्म 19-10-2003 व स्नेह लता का जन्म दिनांक 24-09-2005 को महाल ज़ाबुंग में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इनकी जन्म तिथियों का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत ज़ाबुंग, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हि0प्र0 के कार्यालय अभिलेख ;ठपतजी त्महपेजमतद्ध में न करवाया जा सका है। प्रार्थी चाहता है कि उसके बच्चों की जन्म तिथि पंजीकरण बारे सचिव ग्राम पंचायत ज़ाबुंग, तहसील पूह, जिला किन्नौर को निर्देश जारी किए जाएं।

अतः आम जनता व इलाका वासियों को उक्त अदालती इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के बच्चों श्री रोहित का जन्म 19-10-2003 व स्नेह लता का जन्म दिनांक 24-09-2005 को महाल ज़ाबुंग की जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2025 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आकर असालतन या वकालतन एतराज दायर कर सकता है। उपरोक्त वर्णित निश्चित दिनांक के उपरान्त प्राप्त हाने वाला कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व उसके पश्चात् आवेदन पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इशतहार आज दिनांक 16-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
पूह, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)मिसल नं0
26 / Corr./T/U/2025किस्म मुकद्दमा
दुरुस्ती इन्द्राजतारीख पेशी
15-11-2025श्री प्रमोद कुमार पुत्र सुरिन्द्र नाथ पुत्र मोहन लाल, वासी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्री मुनादी व चस्पांगी।

विषय.—महाल ऊना खास के नम्बर खसरा 164 के खाना कैफियत में नोट दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थना-पत्र श्री प्रमोद कुमार पुत्र सुरिन्द्र नाथ पुत्र मोहन लाल, वासी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि दरखास्त बराये महाल ऊना खास के नम्बर खसरा 164 के खाना कैफियत में नोट दर्ज करने हेतु जिसमें आपसी रजामंदी से एक इकरानामा किया है मुताबिक प्रतिछाया नम्बर खसरा 164 वही दूसरी मंजिल पर प्रमोद कुमार, दीपक कुमार पुत्र व श्रीमती अंजु देवी, श्रीमती ममता देवी पुत्रियां व दर्शना विधवा सुरिन्द्र पुत्र मोहन लाल भाग बराबर स्थानीय वासी दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

अतः नोटिस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 15-11-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त दुरुस्ती इन्द्राज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)**

दुरुस्ती

श्रीमती अनीता देवी पुत्री झखू पुत्र लक्ष्मण, निवासी कांशीपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0 व
हाल पत्नी श्री विक्टर कुमार, निवासी सहरी, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र बाबत दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल/उप-महाल कांशीपुर व शिवपुर के खाना मालिक/काश्त में दर्ज नाम श्रीमती गुरदेई देवी पुत्री झखू पुत्र लक्ष्मण की बजाये श्रीमती गुरदेई देवी उर्फ अनीता देवी पुत्री झखू पुत्र लक्ष्मण दुरुस्त दर्ज करने बारे।

मुश्त्री मुनादी/इश्तहार बनाम आम जनता।

हर खास व आम जनता को बजरिया मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित उनवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है जिसमें प्रार्थिया ने राजस्व अभिलेख महाल/उप-महाल कांशीपुर व शिवपुर के खाना मालिक/काश्त में दर्ज अपना नाम श्रीमती गुरदेई देवी पुत्री झखू पुत्र लक्ष्मण की बजाये श्रीमती गुरदेई देवी उर्फ अनीता देवी पुत्री झखू पुत्र लक्ष्मण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र दाखिल किया है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी भी खास व आम जनता को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-11-2025 को समय 2.00 बजे अपराह्न या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 11-11-2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा मिसल नाम दुरुस्ती पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)

दुरुस्ती

श्री कृष्ण गोस्वामी पुत्र श्री जुल्फी राम गोस्वामी पुत्र राम चन्द, निवासी गांव अम्ब, तहसील अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0) . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र बाबत दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल/उप-महाल अम्ब के खाना मालिक/काश्त में दर्ज नाम कृष्ण गोपाल पुत्र जुल्फी राम पुत्र राम चन्द की बजाये कृष्ण गोपाल उर्फ कृष्ण गोस्वामी पुत्र जुल्फी राम पुत्र राम चन्द दुरुस्त दर्ज करने बारे।

मुश्त्री मुनादी/इश्तहार बनाम आम जनता।

हर खास व आम जनता को बजरिया मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित उनवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है जिसमें प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख महाल/उप-महाल अम्ब के खाना मालिक/काश्त में दर्ज अपना नाम कृष्ण गोपाल पुत्र जुल्फी राम पुत्र राम चन्द की बजाये कृष्ण गोपाल उर्फ कृष्ण गोस्वामी पुत्र जुल्फी राम पुत्र राम चन्द दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र दाखिल किया है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी भी खास व आम जनता को कोई भी एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-11-2025 को समय 2.00 बजे अपराह्न या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 11-11-2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा मिसल नाम दुरुस्ती पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)

दुरुस्ती

श्रीमती प्रमिन्द्र कौर पुत्री वेलू पुत्र गोविन्दू, निवासी अन्दौरा उपरला, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0
व हाल पत्नी श्री सुखविंदर सिंह, 14K, C&T, रेलवे कलौनी जलंधर (पंजाब) . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र बाबत दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल/उप-महाल अन्दौरा उपरला की खेवट नम्बर 413, 416 व 417 के खाना मालिक/काश्त में दर्ज नाम जोगिन्द्रा देवी पुत्री वेलू पुत्र गोविन्दू की बजाये जोगिन्द्रा देवी उर्फ प्रमिन्द्र कौर पुत्री वेलू पुत्र गोविन्दू दुरुस्त दर्ज करने बारे।

मुश्त्री मुनादी/इश्तहार बनाम आम जनता।

हर खास व आम जनता को बजरिया मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित उनवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है जिसमें प्रार्थिया ने राजस्व अभिलेख महाल/उप-महाल अन्दौरा उपरला की भूमि खेवट नम्बर 413, 416 व 417 के खाना मालिक/काश्त में दर्ज अपना नाम जोगिन्द्रा देवी पुत्री वेलू पुत्र गोविन्दू की बजाये जोगिन्द्रा देवी उर्फ प्रमिन्द्र कौर पुत्री वेलू पुत्र गोविन्दू दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र दाखिल किया है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी भी खास व आम जनता को कोई भी एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-11-2025 को समय 2.00 बजे अपराह्न या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 11-11-2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा मिसल नाम दुरुस्ती पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)

नाम दुरुस्ती

श्री राम कृष्ण पुत्र श्री देव राज पुत्र श्री मंगतू, निवासी गांव व डाकघर कटौहड खुर्द, तहसील अम्ब,
जिला ऊना, हि0प्र0 . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र राजस्व अभिलेख महाल कटौहड खुर्द, भूमि खेवट नम्बर 468 मिन, खतौनी नम्बर 769 के खाना काश्त में दर्ज प्रार्थी का नाम राम किशन पुत्र देव राज पुत्र मंगतू की बजाये राम किशन उर्फ राम कृष्ण पुत्र देव राज पुत्र मंगतू का इन्द्राज दर्ज करने बारे।

मुश्त्री मुनादी/इश्तहार बनाम आम जनता।

हर खास व आम जनता को बजरिया मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित उनवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है जिसमें प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख महाल कटौहड खुर्द भूमि खेवट नम्बर 468 मिन, खतौनी नम्बर 769 के खाना काश्त में दर्ज प्रार्थी का नाम राम किशन पुत्र देव राज पुत्र मंगतू की बजाये राम किशन उर्फ राम कृष्ण पुत्र देव राज पुत्र मंगतू दुरुस्त इन्द्राज करने बारे प्रार्थना-पत्र दाखिल किया है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी भी खास व आम जनता को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-11-2025 को समय 2.00 बजे अपराह्न या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 11-11-2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा मिसल नाम दुरुस्ती पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री राम कृष्ण, निवासी वार्ड नं0 8, गांव आदर्श नगर अम्ब, तहसील अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती नरेश कुमारी पुत्री श्री रतन सिंह, निवासी गांव जिझर, तहसील अम्ब, जिला ऊना,
हि0प्र0।

बनाम

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री राम कृष्ण, निवासी वार्ड नं० 8, गांव आदर्श नगर अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती नेरश कुमारी पुत्री श्री रतन सिंह, निवासी गांव जिझर, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि०प्र० के साथ दिनांक 14-02-1989 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई थी और तब से वे बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता हैं। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुश्ट्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 03-11-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)।

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Sh. Kunga Chonzin s/o Sh. Namgyal, r/o TDAC Nyingmapa Buddhist Monastery,
Saraswati Garden, Panthaghati, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Kunga Chonzin s/o Sh. Namgyal, r/o TDAC Nyingmapa Buddhist Monastery, Saraswati Garden, Panthaghati, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of himself namely KUNGA CHONZIN (DOB 27-07-1993) at TDAC Nyingmapa Buddhist Monastery, Saraswati Garden, Panthaghati, Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 18th October, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Mandeep Sood s/o Sh. Tarsem Sood, r/o House No. 99, Sector-41, Buterla, Chandigarh, age 52 years.

2. Ms. Bhawana Sood d/o Sh. Vijay Sood, r/o V.P.O. & Tehsil Junga, District Shimla, Himachal Pradesh age 45 years.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Mandeep Sood s/o Sh. Tarsem Sood, r/o House No. 99, Sector-41, Buterla, Chandigarh and Ms. Bhawana Sood d/o Sh. Vijay Sood, r/o V.P.O. & Tehsil Junga, District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 27-11-2024 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned/ Municipal Coroporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 10-10-2025

Seal.

Sd/-

*Additional District Registrar of Marriages-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural) (H.P.).*

**In the Court of Ms. Oshin Sharma, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sh. Mohd Danish Hussain aged about 30 years s/o Sh. Rifaqat Hussain, r/o House No. 13/A, Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Shana Khan aged about 23 years d/o Firoj Khan, r/o Pure Chaha Majre Khalispur, Post Kotwarmau, Khalispur, Amethi, Kotwarmau, Uttar Pradesh-229302.

Versus

General Public

Subject.— Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sh. Mohd Danish Hussain aged about 30 years s/o Sh. Rifaqat Hussain, r/o House No. 13/A, Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Shana Khan aged about 23 years d/o Firoj Khan, r/o Pure Chaha Majre Khalispur, Post Kotwarmau, Khalispur, Amethi, Kotwarmau, Uttar Pradesh-229302 have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 29-12-2024 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special marriage Act, 1954.

Therefore, objection are hereby invited from the General Public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 23rd November, 2025. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 24th October, 2025.

Seal.

Sd/-
*Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Shimla (Urban)(H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Vikesh Thakur s/o Sh. Pritam Singh Thakur, r/o Village & P.O. Dansa, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant Sh. Vikesh Thakur have made an application before me regarding correction of his name as VIKESH THAKUR s/o Sh. Pritam Singh Thakur in place of VIKESH SINGH s/o PRITAM SINGH in the records of "AADHAR" card and other relevant document which is pertaining to applicant Sh. Vikesh Thakur s/o Sh. Pritam Singh Thakur, r/o Village & P.O. Dansa, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to proposed correction of applicant name as VIKESH THAKUR s/o Sh. Pritam Singh Thakur in place of VIKESH SINGH s/o Pritam Singh they should appear before the undersigned on or before 12-11-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard and name will be entered accordingly.

Issued today on 13th day of October, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Jitender Singh s/o Sh. Gulab Singh, r/o Village Ganganagar, P.O. Sheel, Tehsil Rohru,
District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Jitender Singh s/o Sh. Gulab Singh, r/o Village Ganganagar, P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of his daughter Alveera Rajpoot 20-02-2011 & Alwin Rajpoot (18-04-2012) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Sheel.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Alveera Rajpoot and Alwin Rajpoot they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 16th October, 2025.

Seal.

Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Roshan Lal s/o Sh. Moti Ram, r/o Village Diudi, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Shushma Devi d/o Raju c/o Birbal Singh, r/o Village Diudi, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District Shimla, Himachal Pradesh. . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Subject.—Registration of Marriage under Special Marriages Act, 1954 (Central Act 43 of 1954).

Whereas, the above named applicants have made an application of Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954) alongwith an affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 19-07-2024 at Village Diudi, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District Shimla, H.P.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so it would be deemed that their is no objection to the proposed registrtion of marriage and order shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on 14th day of the October, 2025

Seal.

Sd/-
(SH. DHARMESH KUMAR, HAS)
*Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H. P.).*

**Before Dr. Shashank Gupta, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, H. P.**

In the matter of :

Shri Ayush Banta s/o Shri Sudershan Kumar, r/o Village & P.O. Sarion, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

Smt. Kritika d/o Sh. Sudarshan Sood, r/o Village & P.O. Paprola, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. . . *Applicants.*

Versus

The General Public

. . Respondent.

Proclamation for the registration of Marriage under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

Shri Ayush Banta s/o Shri Sudershan Kumar, r/o Village & P.O. Sarion, Tehsil Theog, District Shimla, H.P. and Smt. Kritika d/o Sh. Sudarshan Sood, r/o Village & P.O. Paprola, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-01-2025 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Act, 1954 under section 15.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before within 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 23-10-2025.

Seal.

(SHASHANK GUPTA, HPAS),
Marriages Office-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, H. P.

